# बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

भारत ने वर्ष 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये संविधान में प्रतिबद्धता की थी। अनुच्छेद 45 के तहत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया गया था। लम्बा समय बीत जाने के बाद भी हमारे देश में शिक्षा की स्थिति चिंतनीय ही बनी हुई है। कई आयोगों के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उदघोषणा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जैसे प्रयासों के बावजूद शिक्षा की पहुंच, ठहराव व गुणवत्ता चुनौती ही बने हुये हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये शिक्षा को कानूनी अधिकार का स्वरूप देने हेतु एक लम्बे समय से चले आ रहे प्रयासों को 2002 में अमली जामा पहनाने में सफलता प्राप्त हुई जब संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। संशोधन को क्रियान्वित करने हेतु इसे एक अधिनियम के रूप में 1 अप्रैल 2010 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। यह हमारे देश के लिये एक ऐतिहासिक मोड़ था जब देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पड़ोस के विद्यालय में उनकी आयु के अनुसार कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिये अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु पहले से चल रहे सर्व शिक्षा अभियान में भी नये प्रावधान किये गये। केन्द्रीय अधिनियम में अपेक्षा के अनुसार बिहार सरकार ने "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" अधिसूचित की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये "बाल अधिकार संरक्षण आयोग" का गठन किया व राज्य शैक्षिक, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को "शैक्षिक प्राधिकार" नामित किया है।

अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये बिहार सरकार ने कई कदम उठाये हैं उनमें से कुछ मुख्य कदम इस प्रकार हैं –

1. राज्य ने "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" को 12 मई 2011 को अधिसूचित किया।

2. अलाभकारी समूह के बच्चों हेतु निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये।

   – राज्य सरकार ने अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों को चिन्हित करने हेतु मानक जारी किये।

   – विस्तृत दिशा निर्देश जो कि जनवरी व मार्च 2011 में जारी किये गये उनमें मुख्य बातें इस प्रकार हैं –

   - निजी विद्यालय नर्सरी/कक्षा 1/प्रवेश कक्षा में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रखेंगे।

   - सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु आवंटित सीटों का विवरण शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायेंगे। यह सूचना उनके विद्यालय से जांची जायेगी।

   - सभी विद्यालयों के पड़ोस को चिन्हित करते हुये उसमें आने वाले बसाव क्षेत्रों को परिभाषित किया जायेगा।

- सामान्य तौर पर विद्यालय क्षेत्र को 1 किलोमीटर की परिधि में माना जायेगा परन्तु यदि उस क्षेत्र में चिन्हित समूह के बच्चे पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो यह सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।

- प्रवेश हेतु कोई छंटनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी बल्कि क्रमिक रूप से आवेदन करने वालों को प्रवेश दिया जायेगा।

- सरकार के इस निर्णय को बड़े स्तर पर प्रचारित किया जायेगा।

3. 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश – प्रदेश में सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्ध करीब 220 विद्यालय हैं। वर्ष 2011–12 में इन विद्यालयों में 3228 प्रवेश हुये व वर्ष 2012–13 में 4206 प्रवेश हुये।

4. वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की फीस के रूप में 1.75 करोड़ रूपये प्रतिपूर्ति के रूप में दिये।

5. राज्य सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2011 में किया व यह अपनी भूमिका अदा कर रहा है।

6. राज्य सलाहकार परिषद का गठन – अधिनियम की धारा 34 के प्रयोजनार्थ माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया।

7. अकादमिक प्राधिकार – अधिसूचना संख्या 8/व 3–7/2010–1482 दिनांक 27.12.2010 के द्वारा राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकार घोषित किया गया।

8. सामान्य प्रवेश हेतु दिशा निर्देश – निजी विद्यालयों में नर्सरी/प्रथम/प्रवेश कक्षा में प्रवेश हेतु राज्य सरकार ने जिलों को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये हैं –

   – कोई विद्यालय प्रवेश हेतु कैपिटेशन फीस नहीं लेगा।

   – जिला प्राधिकार के द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई जायेगी जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर जानकारी साझा की जायेगी।

   – जिले के जन संपर्क अधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी का प्रचार किया जाये। अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी शिकायतों का निपटारा करने हेतु एक जिला स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

   – निजी विद्यालयों के संगठन/संघ को भी इन सूचनाओं से अवगत कराया जायेगा।

   – निजी विद्यालय किसी प्रकार की छंटनी प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे व किसी भी योग्यता को प्रवेश का आधार नहीं बनायेंगे। सभी विद्यालय अपने प्रॉस्पेक्टस में अपनी प्रवेश नीति का विवरण शामिल करेंगे।

9. माता–पिता से अपील – अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी अमल के लिये राज्य के सभी समाचार पत्रों में माता–पिता से लिये उनके बच्चों को पड़ोस के विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की अपील प्रकाशित की गई थी।

10. अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) – अध्यापकों के चयन हेतु राज्य में यह परीक्षा आयोजित की गई है। लगभग 1.47 लाख लोगों ने यह पात्रता परीक्षा पास कर ली है।

11. निजी विद्यालयों को मान्यता – शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। लगभग 14000 विद्यालयों ने आवेदन किया है जिनमें से लगभग 3000 विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर दी गई है।

12. शैक्षिक कार्य दिवस एवं शिक्षण घण्टों के बारे में अधिसूचना – विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं हेतु 200 कार्य दिवस व 800 शिक्षण घण्टों एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिये 220 कार्य दिवस व 1000 शिक्षण घण्टे का समय एक अधिसूचना के द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

## शिक्षा का अधिकार एक दृष्टि में

| कमांक | मुख्य विषय से संबंधित अधिकार बिन्दु |
|---|---|
| | **विद्यालय की सुविधा** |
| 1 | विद्यालय की सुविधा |
| 2 | स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विवरण का संधारण |
| 3 | पड़ोस के प्रत्येक गांव / टोला के लिये विद्यालय की (1 किलोमीटर के अन्दर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किलोमीटर के अन्दर मान्यता प्राप्त मध्य विद्यालय) |
| 4 | विद्यालय जाने में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान (नदी, पहाड़, खाई इत्यादि) |
| 5 | आवश्यकतानुसार विद्यालय जाने हेतु वाहन की व्यवस्था |
| 6 | निःशक्त बच्चों के लिये सहायक उपकरण की व्यवस्था |
| | **विद्यालय में नामांकन** |
| 7 | विद्यालय में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं |
| 8 | उम्र के अनुसार वर्ग में नामांकन |
| 9 | देर से नामांकन वाले बच्चों हेतु विशेष पढ़ाई |
| 10 | नामांकन के लिये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं |
| 11 | शिक्षा हेतु कोई शुल्क नहीं |
| 12 | नामांकन फार्म हेतु कोई शुल्क नहीं |
| 13 | कोई डोनेशन शुल्क नहीं |
| 14 | कोई प्रवेश शुल्क नहीं |
| 15 | 30 सितम्बर तक नामांकन की सुविधा |
| 16 | नामांकन से संबंधित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना |
| 17 | नामांकन में पारदर्शिता का पालन |
| 18 | मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग 1 में कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन |
| 19 | 25 प्रतिशत कोटि का रैन्डम आधार पर नामांकन |
| | **प्रोत्साहन** |
| 20 | निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क कार्यपुस्तिका |
| 21 | निःशुल्क स्टेशनरी |

| | |
|---|---|
| 22 | निःशुल्क पोशाक |
| 23 | छात्रवृत्ति की व्यवस्था (जिनके लिये लागू हो) |
| | **शिक्षक** |
| 24 | बच्चों को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं देना |
| 25 | बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं |
| 26 | 35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था/वर्ग 6 से 8 के लिये विषय शिक्षक |
| 27 | शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं करना |
| 28 | शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व |
| 29 | शिक्षकों के द्वारा गैर–शैक्षणिक कार्य नहीं |
| 30 | बच्चों का प्रगति पत्रक संधारित करना |
| 31 | बच्चों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन |
| | **भौतिक सुविधाये** |
| 32 | सभी मौसम में पढ़ाई लायक भवन |
| 33 | आवश्यकतानुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था |
| 34 | छात्र एवं छात्राओं के लिये अलग अलग शौचालय |
| 35 | स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था |
| 36 | चहारदीवारी की व्यवस्था |
| 37 | रसोईघर/किचनशेड |
| 38 | पुस्तकालय |
| 39 | खेलने के लिये मैदान |
| 40 | खेल सामग्री की व्यवस्था |
| | **विद्यालय प्रबंधन** |
| 41 | वर्ष में 200/220 दिन विद्यालय का संचालन |
| 42 | विद्यालय भवन का गलत उपयोग नहीं |
| 43 | विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का रखरखाव |
| 44 | आवश्यकतानुसार छात्र छात्राओं को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत करना |
| 45 | पढ़ाई पूरी करने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र देना |
| 46 | छात्रों का विद्यालय से नाम नहीं काटना |
| | **पाठ्यक्रम** |
| 47 | निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई |
| 48 | विद्यालय में संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन |
| | **विद्यालय शिक्षा समिति** |
| 49 | विद्यालय प्रबंध समिति ( विद्यालय शिक्षा समिति) का गठन |
| 50 | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा नियमानुसार कार्य करना |
| 51 | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना |
| 52 | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय के कियाकलापों का अनुश्रवण |

## शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित शिकायत निवारण प्रकिया

.....

(Needs to be inserted directly from the booklet)

शिक्षा का अधिकार से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान

## *केन्द्रीय अधिनियम –*

***3.*** (1) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार का व्यय का संदाय करने के लिये दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करेः

परन्तु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

## *केन्द्रीय अधिनियम –*

***4.*** जहां, छह वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, या प्रवेश तो दिया गया है परन्तु उसने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

परन्तु, जहां किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिये, ऐसी रीति में और ऐसी समय–सीमा के भीतर, जो विहित की जाये, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परन्तु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिये इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगां

## *बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 –*

3. (1) विद्यालय शिक्षा समिति/स्थानीय प्राधिकार, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिह्नित करेगा तथा उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण निम्नांकित तरीके से आयोजित करेगाः–

(क) विशेष प्रशिक्षण शैक्षिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गयी उम्र–सापेक्ष अधिगम सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) यह प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर में अथवा सुरक्षित आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजित किया जाएगा;

(ग) यह प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) इस प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 (तीन) महीनों की होगी, जिसे बच्चों की अधिगम प्रगति के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2 (दो) वर्षों तक विस्तारित किया

जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 2 (दो) वर्षों की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा;

(2) विशेष प्रशिक्षण के पश्चात उम्र–सापेक्ष कक्षा में नामांकन के बाद संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा इस कोटि के बच्चों पर तब तक विशेष ध्यान दिया जाएगा जब तक कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ न जाएँ।

*विस्तार*

खण्ड 3–1 में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने तक अपने पड़ोस के स्कूल में है। इसके लिए किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के शुल्क या खर्चे नहीं देने होंगे जो कि उसे प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने से रोके। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह
निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। (खण्ड–4)

*केन्द्रीय अधिनियम –*

***9.*** प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी –

(क) प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

परन्तु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता–पिता या संरक्षक द्वारा समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धा सुनिश्चित करेगा;
(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाये तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने पर और पूरा करने से निवारित न हों;
(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, अभिलेख रखेगा;
(ङ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनीटर करेगा;
(च) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृन्द, और शिक्षा सामग्री भी है, उपलब्ध करायेगा;
(छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा;
(ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा;
(झ) प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा;
(ञ) शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायेगा;
(ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा;
(ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मॉनीटर करेगा; और
(ड) शैक्षणिक कैलेण्डर का विनिश्चय करेगा।

*स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य –*

... स्थानीय प्राधिकारी से कोई नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी

स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी है।

## *बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 –*

**अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार का दायित्व**

5. (1) निम्नांकित कोटि का प्रत्येक बच्चा मुफ्त पाठ्यपुस्तक, लेखन–सामग्री एवं पोशाक पाने का हकदार होगाः–

(क) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (i) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के बच्चे;

(ख) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (b) के अनुपालन में अधिनियम की धारा (2) की कंडिका (n) की उप कंडिका (ii) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय के बच्चे;

(ग) अधिनियम की धारा 12 की कंडिका (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में धारा 2. की कंडिका (n) की उप–कंडिका (iii) एवं (iv) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में नामांकित बच्चे।

परन्तु यह कि निःशक्त बच्चों को विशेष अधिगम एवं सहायक सामग्री भी उपलब्ध करायी जाएगी।

**व्याख्याः** अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) एवं धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (b) के अनुपालन में नामांकित बच्चों को मुफ्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्रमशः अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (iii) और (iv) एवं धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (ii) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों की होगी।

(2) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार पड़ोसी विद्यालयों के निर्धारण एवं स्थापना के लिए विद्यालय मानचित्रण करेगी और सभी बच्चों, जिसमें सुदूर क्षेत्र के बच्चे, निःशक्त बच्चे, अलाभकारी समूह के बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चे तथा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आने वाले बच्चे सम्मिलित होंगे, की पहचान निर्धारित तिथि के 1 (एक) वर्ष के अंदर करेगी और उसके बाद प्रतिवर्ष इसे अद्यतन करेगी।

(3) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी बच्चे के साथ जाति/वर्ग/धर्म या लिंग के आधार पर विद्यालय में भेदभाव न हो।

(4) अधिनियम की धारा 8 की कंडिका (c) और धारा 9 की कंडिका (c) की उद्देश्य–पूर्ति के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग का बच्चा और अलाभकारी समूह का बच्चा, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदान में, पानी पीने के समय, शौचालय सुविधाओं का उपयोग और वर्ग–कक्ष या शौचालय साफ–सफाई के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हो।

**अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (d) के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों के अभिलेखों का संधारण**

6. (1) स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्रान्तर्गत गृहवार सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बच्चों को उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु होने तक का अभिलेख संधारित करेगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेखों का प्रत्येक वर्ष अद्यतनीकरण किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख का इस तरह पारदर्शी रूप से संधारित किया जाएगा जिससे कि जनसाधारण इसका अवलोकन कर सके एवं अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (c) के प्रावधानों के अनुरूप इसे उपयोग में लाया जा सके।

(4) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख में बच्चों के संबंध में निम्न सूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगाः–

(क) नाम, लिंग, जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र संख्या सहित), जन्म स्थान;

(ख) माता–पिता/अभिभावक का नाम, पता एवं व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्र, जहाँ बच्चे 6 वर्ष की आयु तक सम्मिलित हुए हों;

(घ) प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालय, जहाँ बच्चा नामांकित हुआ हो;

(च) बच्चे का वर्तमान पता;

(छ) वर्ग, जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो (6–14 आयु के बच्चों हेतु) एवं अगर संबंधित स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की शिक्षा बाधित हुई हो, तो इस बाधा का कारण;

(ज) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (e) में निहित अर्थ के अनुसार क्या बच्चा कमजोर वर्ग का है?

(झ) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (d) में निहित अर्थ के अनुसार क्या बच्चा अलाभकारी समूह का है?

(ट) विस्थापन एवं विरल जनसंख्या, उम्र सापेक्ष नामांकन, निःशक्तता के कारण आवश्यक विशेष सुविधा/आवासीय सुविधाओं की जरूरत वाले बच्चों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों का नाम विद्यालय में आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहे।

## *विस्तार –*

राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा का पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी, पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी यह सुनिश्चित करेगीं कि कमजोर और वंचित वर्गो के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगीं, बच्चों को उम्दा किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। (खण्ड–8 और 9)

## *केन्द्रीय अधिनियम –*

***12.*** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये –

(कं) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

(ख) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रवेश कराये गये बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

(ग) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (iii) में और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या की कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरे होने तक, प्रदान करेगा।
परन्तु यह और कि जहां धारा 2 के खण्ड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, प्रतिपूर्ति की जायेगीः

परन्तु ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय, उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर, या अन्य सुविधायें, या तो निःशुल्क या रियायती दर पर, प्राप्त करने के कारण पहले से ही विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन हैं, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिये हकदार नहीं होगा।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगा।

## *बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 –*

### धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के प्रयोजनार्थ कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन

7. (1) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बच्चे जो धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत उनके विद्यालय में नामांकित हुए हैं, उन्हें अन्य बच्चों से कक्षाओं में भेद–भाव या अलग–थलग नहीं किया जाए, न ही उनकी कक्षाएँ किसी अन्य स्थान या अन्य समय जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हों, आयोजित किए जाएँ।

(2) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (iii) एवं (iv) के अन्तर्गत संदर्भित विद्यालय, उन बच्चों के साथ जो अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में विद्यालय में नामांकित हुए हों, उन्हें खेल, सहगामी पाठ्यचर्या, सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण की सुविधा, पुस्तकालय, पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि सुविधाएँ जिसे प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, के संबंध में सामान्य बच्चों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में नामांकित होने वाले बच्चों के लिए पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा, नियम 4 के उपनियम (1) के अनुरूप प्रयोग में लायी जाएगी।

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के लिए आवश्यक प्रतिशत को भरने के लिए विद्यालय, पड़ोस की सीमाओं को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् बढ़ा सकता है।

**अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा व्यय की प्रतिपूर्ति**

8. (1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अधिगृहित, नियंत्रित अथवा प्राधिकारों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों पर किए जा रहे कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे वह राज्य सरकार अपनी निधि से या केन्द्र सरकार की निधि से या किसी अन्य प्राधिकार की निधि से व्यय करती है, उस राशि को सभी बच्चे, जो उन विद्यालयों में नामांकित होंगे, उनसे भाग करने पर जो राशि प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के द्वारा प्रति बच्चा व्यय माना जाएगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। विद्यालय को राशि का भुगतान प्रस्वीकृति के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से चेक के द्वारा की जायगी।

**व्याख्याः**– (1) प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (ii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित किया जायगा।

***विस्तार*** – सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय न तो कोई अनिवार्य दान/चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक/बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा/दान लेने की स्थिति में उससे दस गुना अर्थ दंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25 हजार रूपये और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50 हजार रूपये का दंड देना होगा। अधिकृत प्राधिकार से मान्यता का प्रमाणपत्र हासिल किए बिना कोई भी विद्यालय खोला नहीं जा सकता। विद्यालयों को अधिनियम के अंतर्गत विर्निदष्ट मानकों और मानदंडों को पूरा करना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकारें वहन करेंगी।(खण्ड–12)

## *केंद्रीय अधिनियम –*

29. (1) प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किये जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जायेगी।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् –

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता;

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास;

(ग) बालक के ज्ञान, अन्तःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना;

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास;

(ङ) बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति में किया कलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण;

(च) शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो, बालक की मातृभाषा में होगा;

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात, और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना;

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत् मूल्यांकन।

## *बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 –*

## अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत शैक्षिक प्राधिकार का कार्य

21. शैक्षिक प्राधिकार के निम्न कार्य होंगेः–

(1) उम्र–सापेक्ष, अनुकूल आयुवर्ग के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य अधिगम सामग्री तैयार करना।

(2) सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की रूप–रेखा का विकास करना,

(3) बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शिका तैयार करना।

(4) विद्यालय की समग्र गुणवता के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण तथा इसका नियमित क्रियान्वयन करना।

*विस्तार –*

सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार (परिषद) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास, उसके ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा के उन्नयन, पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देने के साथ–साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। बाल–मित्र माहौल में बाल–केन्द्रित तरीके से गतिविधि आधारित सीखना–सिखाना, खोजने और जिज्ञासा को बढ़ावा देना। किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मानक –

विद्यालय के लिये मान और मानक

| क्रम | मद | मान और मानक |
|---|---|---|
| 1 | शिक्षकों की संख्या | |
| | (क)पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिये | प्रवेश किये बालक – शिक्षकों की संख्या |
| | | 60 तक – दो |
| | | 61 से 90 तक – तीन |
| | | 91 से 120 तक – चार |
| | | 121 से 200 तक – पांच |
| | | 150 बालको से अधिक – पांच शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक |
| | | 200 बालकों से अधिक – छात्र शिक्षक अनुपात (प्रधानाध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा |
| | (ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये | (1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिये कम से कम एक शिक्षक हो –<br>(i) विज्ञान और गणित<br>(ii) सामाजिक अध्ययन<br>(iii) भाषा |
| | | (2) प्रत्येक 35 बालकों के लिये कम से कम एक शिक्षक |
| | | (3) जहां सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां –<br>(i) एक पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक<br>(ii) निम्नलिखित के लिये अंशकालिक शिक्षक –<br>(अ) कला शिक्षा<br>(आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा<br>(इ) कार्य शिक्षा |
| 2. | भवन | सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे –<br>(i) प्रत्येक शिक्षक के लिये कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय–सह–भंडार–सह प्रधानाध्यापक कक्ष<br>(ii) बाधा मुक्त पहुंच |

| | | |
|---|---|---|
| | | (iii) लड़कों और लड़कियों के लिये पृथक शौचालय<br>(iv) सभी बालकों के लिये सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा<br>(v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक रसोई<br>(vi) खेल का मैदान<br>(vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिये व्यवस्थायें। |
| 3. | एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों / शिक्षण घण्टों की न्यूनतम संख्या | (i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिये 200 कार्य दिवस<br>(ii) छठी से आठवीं कक्षा के लिये 220 कार्य दिवस<br>(iii) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के लिये प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घण्टे<br>(iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिये प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घण्टे |
| 4. | शिक्षक के लिये प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की न्यूनतम संख्या | पैंतालीस शिक्षण घण्टे जिसके अंतर्गत तैयारी के घण्टे भी हैं। |
| 5. | अध्यापन शिक्षण उपस्कर | प्रत्येक कक्षा के लिये अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे। |
| 6. | पुस्तकालय | प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाऐं और सभी विषयों पर पुस्तकें जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी। |
| 7. | खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर | प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे। |